निर्णय ब इजलास डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 119/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1/1. रूकमा देवी पत्नी स्व॰ श्री लाल चन्द सैनी निवासी डी–27, गणेश विहार, खेतावाली ढाणी, बोयतावाला, जयपुर।

1/2. रूडी देवी पुत्री स्व॰ श्री लाल चन्द सैनी पत्नी श्री कल्याण सहाय सैनी जोडला थडी के पीछे, जोडला, तहसील आमेर, हरमाडा जयपुर ।

1/3 कैलाश चन्द सैनी पुत्र स्व॰ श्री लाल चन्द सैनी निवासी डी–18, गणेश विहार 6, दुकान के पीछे, बोयतावाला, झोटवाडा, जयपुर ।

1/4. शान्ति देवी पुत्री स्व॰ श्री लाल चन्द सैनी पत्नी श्री सीताराम सैनी निवासी प्लाट नं॰ 84–85, प्रवासी नगर, मुरलीपुरा, जयपुर।

1/5. रामदयाल सैनी पुत्र स्व॰ श्री लालचन्द सैनी निवासी डी–11, गणेश विहार 6, दुकान के पीछे, बोयतावाला, झोटवाड़ा, जयपुर ।

1/6 सूरजमल सैनी पुत्र स्व॰ श्री लालचन्द सैनी निवासी डी–27, गणेश विहार 6, दुकान के पीछे, बोयतावाला, झोटवाड़ा, जयपुर ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर ।
2. जयपुर विकास प्राधिकरण जरिये सचिव, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर ।
3. सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 आर॰टी॰एक्ट 1955 बाबत सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 65/2012 ब उनवानी लालचन्द बनाम सरकार व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत॥

उपस्थितः–

1. श्री सुरज मल सैनी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री अरविन्द कुमावत अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से ॥

निर्णय **दिनांक 03.12.2024**

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम के समक्ष प्रकरण संख्या 65/2012 ब उनवानी लालचन्द बनाम सरकार व अन्य विचाराधीन है।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने मे शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री अरविन्द कुमावत ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया किउक्त वाद में दिनांक 23.07.2018 को प्रतिवादी संख्या 2 को जबाब प्रस्तुत किये जाने के पर्याप्त अवसर दिये जा चुके थे । प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से जबाब नहीं आने पर जबाब का अवसर बन्द किया गया तथा दिनांक 03.07.2019 गवाहों से जिरह की गई और अन्य तारीख 17.07.2019 रखी गई तथा दिनांक 16.10.2019 को विपक्षी अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य जिरह की गई और दिनांक 06.11.2019 को विपक्षी अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य जिरह की गई और दिनांक 06.11.2019 को साक्ष्य जिरह अवसर बन्द किया गया तथा बहस अन्तिम में प्रकरण को दिनांक 20.11.2019 की पेशी थी उसके पश्चात अन्तिम बहस हेतु दिनांक 26.02.2020 रखी गई। लोकडाउन के पश्चात दिनांक 11.01.2024 को लाल चन्द की मृत्यु होने के पश्चात प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी पेश किया गया जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया । उक्त के पश्चात दिनांक 16.01.2024 को 500/–रूपये कोस्ट पर प्रतिवादी संख्या 2 को फिर से जबाब का अवसर दिया गया जो न्यायहित में कतई उचित नहीं है। अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी का उक्त आचरण न्यायिक प्रकिया की गरिमा के पूरी तरह से विपरीत है और उसके उक्त आचरण से प्रार्थी को न्यायालय का भरोसा नहीं है बल्कि प्रार्थी को पूरा अन्देशा है कि उक्त न्यायालय बिना विधिक प्रकिया अपनाये ही उक्त मामले को खारिज किया जायेगा तथा यह स्पष्ट करना समिचिन होगा कि उक्त वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया गया ऐसी स्थिति में प्रकरण को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ अधिकरण 12 वर्ष बाद प्रकरण को प्रथम स्टेज पर वापिस ले आये और प्रार्थी की कोई भी बात को सुनने को तैयार नही है । प्रार्थी ने काफी विनती की तो भी समय नहीं देते है और प्रार्थी को आज ही पता चला कि अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा भी उनकी खारिज कर दी गई। अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी निष्पक्ष कार्यवाही नहीं कर रहे है तथा वे पूरी तरह से अप्रार्थी संख्या 2 को फेवर कर रहे है। ऐसे स्थिति में प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्ति की आशा नहीं है। अतः उक्त प्रकरण को सुनवाई हेतु अन्यत्र सक्षम न्यायालय मे अन्तरित करने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2 के सुयोग्य अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी ने जानबूझ कर प्रकरण के निस्तारण में देरी किये जाने की मन्शा से झूंठे तथ्य अंकित करते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नहीं है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 03.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner